रिपोर्ट चौकी प्रभारी थाना को०-कटरा जनपद मीरजापुर

सेवा में,

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू० डि०) एफ०टी०सी० महोदय

जनपद मीरजापुर

विषय: प्रार्थना पत्र द्वारा आवेदिका रश्मी देवी W/O शिवकान्त मिश्र निवासी मकरखोवा P/S को०-कटरा जनपद मीरजापुर के अन्तर्गत धारा 173(4) BNS के सम्बन्ध में आख्या रिपोर्ट विषयक।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि संलग्न PC की जाँच मुझ उ०नि० द्वारा मौके पर जाकर किया गया तो पता चला कि दि० 08.03.25 को आवेदिका पक्ष द्वारा विपक्षीगणों को मारा पीटा गया था तथा गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसमें विपक्षी शिवम गुप्ता S/O पप्पू गुप्ता नि० मकरखोवा P/S को०-कटरा मीरजापुर के लिखित तहरीर पर आवेदिका पक्ष के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 58/25 धारा 115(2), 351(2), 352 BNS पंजीकृत किया गया है जिसको लेकर आवेदिका पक्ष द्वारा विपक्षीगणों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया, जाँच से आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्तर पर कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

[signature]

उ०नि० [illegible]
चौकी प्रभारी
थाना को०-कटरा
मी०जा०

C/R Submitted
6/4/25

थाना कटरा कोतवाली

संलग्नक:- (1) रिपोर्ट 01 प्रति
(2) PC 03 प्रति

राज्य, 2007 (6) ए.एल.जे. 424 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद व मोना पवार बनाम उच्च न्यायालय, इलाहाबाद 2011 (74) ए.सी.सी., 216 (एस0सी0)" द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के आलोक में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदिका/प्रार्थिनी रोशनी देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-175(3) बी0एन0एस0एस0 परिवाद के रूप में पंजीकृत हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा-223 बी0एन0एस0एस0 दिनांक-03.06.2025 को पेश हो। विपक्षीगण को नोटिस जारी हो।

30.5.25

(अभिषेक सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0
(महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराध),
मीरजापुर।

12/7/25

03/06/25

पेश हुआ। परिवादिनी अनुपस्थित। पत्रा0 वास्ते बयान 223 BNSS दिनांक 12/07/25 को पेश हो। विपक्षीगण को नोटिस जारी हो।

CJM

12/7/25

12/7/25

15/7/25

आज पेश हुआ पुनि आदेश उप0 पत्रा0 वास्ते बयान U/S 223 BNSS दिनांक 30/7/25 को पेश हो।

30/07/25

CJM

30/7/25

30-7-25

पेश हुआ। परिवादी की हाजिरी प्रस्तुत। पत्रावली वास्ते 223 बयान दिनांक 01-09-2025 को पेश हो।

01/09/25

CJM

मु०न०- 59/25
रोशनी देवी - सुरेश
थाना - कोतवाली कटरा
ता०पेशी - 03/06/25

H.C.J.NO.VIII-1

अभियुक्त व्यक्ति के नाम सम्मन
(धारा 68, अनुसूची 5 प्रपत्र संख्या 1)

Civil Judge (J.D.) / F.T.C. सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० CAW, मीरजापुर
Crime Against Women
Mirzapur मजिस्ट्रेट कोर्ट जिला

① सुरेश गुप्ता S/o स्व० रमाशंकर
② पप्पू गुप्ता S/o ,,
③ ऋषभ
④ सौरभ
&} पुत्रगण सुरेश गुप्ता
⑤ शिवम गुप्ता S/o पप्पू

पुत्र ककरहवाली निवासी
जाति व्यवसाय
थाना- कोतवाली कटरा जिला मीरजापुर
के नाम

चूँकि आपकी उपस्थिति .... अपराध के आरोप के उत्तर देने के लिये आवश्यक है, अतएव आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि स्वयं/अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त न्यायालय के समक्ष सन् ई0 के .... मास के .... दिवस को उपस्थिति हो, ऐसा करने में त्रुटि न हो।

सन् 20 ई0 के दिवस को दिनांकित।

SSI/SI/OP भर्ती तामील
कृ० तामील करायें

SHO
09/05/25

285
CR

C.J. (J.D.)/F.T.C. Crime Against Women Mirzapur
न्यायालय की मुहर

हस्ताक्षर
Civil Judge (J.D.)/F.T.C.
मजिस्ट्रेट
Crime Against Women
Mirzapur

Shot on moto g54 5G

एक रुपया ONE RUPEE एक रुपया ONE RUPEE

UPMI0200 2422025

C.Misc – 380/25

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू0डि0) एफ0टी0सी0 महोदय, मीरजापुर

(महिलाओ के विरूद्ध कारित अपराध)

19/3/25

मि0प्रा0प0सं0– 59 सन् 2025

रोशनी देवी बनाम सुरेश गुप्ता वगै0

प्रार्थना पत्र द्वारा–रोशनी देवी उम्र लगभग 28 वर्ष पत्नी शिवबली कुमार बिन्द निवासिनी ककरहवा, लोहंदी रोड़, थाना को० कटरा, जनपद मीरजापुर।

बनाम

1– सुरेश गुप्ता उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र – स्व० रमाशंकर

2– पप्पू गुप्ता उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र स्व० रमाशंकर

3– ऋषभ उम्र लगभग 24 } पुत्रगण सुरेश गुप्ता

4– सौरभ उम्र लगभग 28 }

5– शिवम गुप्ता उम्र लगभग 26 पुत्र पप्पू

समस्त निवासीगण ककरहवा सोहता थाना को० कटरा, जनपद मीरजापुर।

अन्तर्गत धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0

थाना–को0 कटरा, जिला–मीरजापुर।

श्रीमान् जी,

सविनय निवेदन है कि हम प्रार्थिनी एक पर्दानशीन घरेलू महिला है। उपरोक्त विपक्षीगण जो कि प्रार्थिनी के पडोसी है तथा काफी सरहंग किस्म के व्यक्ति हैं। उपरोक्त विपक्षी सं०–1 सुरेश गुप्ता जो कि एल०आई०सी० का एजेन्ट है, सन् 2011 में प्रार्थिनी के पति शिवबली का बीमा पालिसी कराया

था, जिसका बाण्ड सम्बन्धित कागजात प्रार्थिनी के पति को विपक्षी द्वारा नहीं प्रदान किया गया था। प्रार्थिनी के पति द्वारा अपना बाण्ड सम्बन्धित कागजात विपक्षी सुरेश गुप्ता से मांगा गया तो विपक्षी सुरेश उसे देने में आना कानी करने लगा। उपरोक्त विपक्षी सं० 4 व 5 जो कि प्रार्थिनी पर बुरी नियत रखते है तथा विपक्षी सुरेश गुप्ता के परिवार के है। प्रार्थिनी के घर में बाण्ड के कागजात देने के बहाने दो चार बार आये गये। दिनांक 08.03.2025 को समय लगभग 6.00 बजे शाम जब प्रार्थिनी अकेली थी तथा घर के अन्य सदस्य खेती के सन्दर्भ में बाहर गये थे, तभी विपक्षी सं0 4 व 5 प्रार्थिनी के घर आये और जोर–जोर से दरवाजा पीटने लगें, प्रार्थिनी द्वारा कहा गया कि जब मेरे पति घर पर रहेगें तब आप लोग आयेइगा, इस पर विपक्षी सं0 4 व 5 ने कहा कि आप अपना बाण्ड का कागज ले लिजिये हम लोग कागज देकर चले जायेगें। प्रार्थिनी ने विपक्षी की बात पर भरोसा करके दरवाजा खोला तो विपक्षी सं० 4 व 5 प्रार्थिनी के घर में घूस आये तथा कहे कि हम लोग ऐसे ही मौके की तलाश में थे, प्रार्थिनी के एतराज करने पर विपक्षी सं० 4 व 5 प्रार्थिनी को उठाकर जमीन पर पटक दिये तथा प्रार्थिनी को निर्वस्त्र करके प्रार्थिनी के साथ अश्लील हरकत करने लगें। प्रार्थिनी के चिखने चिल्लाने पर प्रार्थिनी की जेठानी कलावती आयी और शोर शराबा करके आस पास के लोग को इकट्ठा किया व बीच बचाव किये। शोर शराबा होने पर समस्त विपक्षीगण कुछ देर बाद उसी दिन प्रार्थिनी के घर में घूस आये तथा प्रार्थिनी के पति शिवबली को झापड़ व मुक्के से मारे पीटे तथा धमकी दिये कि साले माधरचोद अगर कही शिकायत करोगे तो तुम्हे व तुम्हारे परिवार के उपर फर्जी मुकदमा लगवा कर जीवन बरबाद कर देगें। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना अपने पति के साथ जाकर थाना इलाका पर दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुयी। तत्पश्चात प्रार्थिनी दिनांक 12.03.2025 को सदर

रोशनी

अस्पताल मीरजापुर में अपने पति के साथ जाकर अपनी चोटो का डाक्टरी मुआयना कराया।

विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने पर हम प्रार्थिनी नें उपरोक्त घटना के बावत दिनांक 17.03.2025 ई0 को हम प्रार्थिनी ने श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, मीरजापुर को जरिये दस्ती एवं रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना दिया परन्तु आज तक उपरोक्त विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही हुई, जबकि विपक्षीगण ने जानबूझकर अ0धारा 76, 333, 115(2), 351(3), 352, बी0एन0एस0 का संज्ञेय अपराध कारित किया गया है। ऐसी सूरत में उक्त विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किये जाने का आदेश थानाध्यक्ष महोदय को0 कटरा, मीरजापुर को दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि हम प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र पर उक्त विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किये जाने का आदेश थानाध्यक्ष महोदय को0 कटरा, मीरजापुर को देनें की कृपा करें। न्याय होगा।

दिनांकः– 19/3/2025

ह0 प्रार्थिनी

रोशनी

1.d

19/3/202